जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

63/2

Gen. No.

अपील सूचना अधिकार संख्या 63/2016 अनवानी श्री चन्द्रप्रकाश एडवोकेट, कोर्ट कैम्पस, श्रीजिवयनगर बनाम उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर

06–12.–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अभिभाषक उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी के अभिभाषक की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Web Copy - Not Official

अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 14.01.2016 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से निम्न सूचना चाही थीः–

1. पत्रावली संख्या 54/2000 जो कि आर.ए.ए. न्यायालय श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 07.03.2008 को जरिये डिस्पेच कमांक 525 रजिस्टर्ड रसीद संख्या आरपीए6692/10.03.2008 द्वारा उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को भेजी गई थी की प्रमाणित प्रति समस्त फर्द अहकाम।
2. यदि उक्त पत्रावली वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर में उपलब्ध नही है तो उक्त पत्रावली आज दिनांक 14.01.2016 को कौनसी न्यायालय या कार्यालय में है।
3. यदि यह पत्रावली किसी अन्य न्यायालय या कार्यालय को भेजी गई है तो उसका डिस्पेच नम्बर व रजिस्टर्ड रसीद की प्रमाणित प्रति।
4. श्रीमान आर.ए.ए. न्यायालय द्वारा भेजी गई आरपीए6692/10.03.2008 पार्सल में बाकी पत्रावलियां कौनसे कार्यालय या न्यायालय में है।

उक्त सूचनांओ के संबंध में उपजिला कलक्टर रायसिंहनगर ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 10/13.06.2016 के द्वारा निम्नानुसासर सूचित किया हैः–

अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस कार्यालय के प्रकरण सं0 54/2000 अनवान राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के द्वारा दिनांक 07.03.2008 से प्राप्त पत्रावली की समस्त फर्द अहकाम की नकल चाही जा रही थी। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अनवान न होने के कारण उक्त पत्रावली कार्यालय में तलाश करने में परेशानी हो रही थी। इस कारण विलम्ब हो रहा था। उक्त पत्रावली मुताबिक रिकार्ड के प्रकरण संख्या 107/85 अनवान वीकर सिंह बनाम जोगेन्द्र सिंह में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 144 सीपीसी का निर्णय के पश्चात दिनांक 06.07.09 को रिकार्ड रूम अनूपगढ़ में जमा करवाई जा चुका है जिसका बस्ता न0 172/11 है।

उक्त अनवान संबंधित प्रकरण सं0 45/2000 निर्णय दिनांक 24.07.2000 अनवान वीकरसिंह बनाम जोगेन्द्रसिंह आदि को भी निर्णय होने के पश्चात दिनांक 06.07.09 को रिकार्ड रूम अनूपगढ में जमा करवाई जा चुकी है जिसका बस्ता न0 174/4 है। कृपया उक्त पत्रावली की नकल उक्त रिकार्ड रूम से प्राप्त की जा सकती है। संबंधित प्रार्थी को सूचित किया जा रहा है।

शाखा
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
63/20

A3/2

चूंकि अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से जिस अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही जा रही थी उससे संबंधित पत्रावली सं0 45/2000 निर्णय दिनांक 24.07.2000 निर्णय होने के पश्चात दिनांक 06.07.09 को रिकार्ड रूम अनूपगढ में जमा करवाई गई है जिसकी सूचना प्रार्थी को दी जा चुकी है। इसलिए अपीलार्थी को चाही गई सूचनांओ के संबंध में प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, उपअभिलेखागार अनूपगढ़ में चाराजोही करनी चाहिए। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ का अभिलेख उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के कार्यालय में उपलब्ध नही है। इसलिए उनके द्वारा दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 06.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञानाराम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर